

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2024

डीजल इंजन-NOx रीडक्शन एजेंट एयूएस 32 (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024

का.आ. 922(अ).— केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डीजल इंजन-NOx रीडक्शन एजेंट एयूएस 32 (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रवृत्त होगा।

2. लागू होना.- यह, इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।

3. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उसके स्तंभ (2) में उल्लेखित तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगीं और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की, किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगीं।

4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.- उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
डीजल इंजन-NOx रीडक्शन एजेंट एयूएस 32	आईएस 17042 (भाग-1): 2018	डीजल इंजन-NOx रीडक्शन एजेंट एयूएस 32- विनिर्देश

टिप्पण: अनुसूची के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के उपबंधों के अनुसार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसीटी-59011/44/2022-पीसी टेक-सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2024

Diesel Engines – NOx Reduction Agent AUS 32 (Quality Control) Order, 2024.

S.O. 922(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) This order may be called the Diesel Engines – NOx Reduction Agent AUS 32 (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Schedule annexed to this Order and shall not apply to goods or article meant for export.

3. **Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark.**— Goods or article specified in column (1) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard mention in column (2) therein and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

4. **Certifying and enforcing authority.**— The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (1) of the said Schedule.

SCHEDULE

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Diesel Engines – NOx Reduction Agent AUS 32	IS 17042 (Part-1): 2018	Diesel Engines – NOx Reduction Agent AUS 32 – Specification

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau of Indian Standards from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. PCT-59011/44/2022-PC TECH.CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.